[2018] 5 एस सी आर 377

एम/एस। हरियाणा सूरज माल्टिंग लिमिटेड।

वी.

फ़ोन चैण्ड

(2018 की सिविल अपील संख्या 5650)

18 मई, 2018

[कुरियन जोसेफ, मोहन एम. शांतनागौदर

और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947: एसएस। 16 , 17 और 17 ए-एकतरफा निर्णय-औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय द्वारा वापस बुलाने की शक्ति

इसके लागू करने योग्य होने के बाद-आयोजितः जहां तक एकतरफा फैसले को दरकिनार करने का संबंध है, औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय लागू करने योग्य होने के बाद कार्यात्मक नहीं है-यह अधिनियम की योजना के अनुसार एक आवेदन पर विचार करने की अपनी शक्तियों के भीतर है और

प्राकृतिक न्याय के नियमों के संदर्भ में-केवल इसलिए कि एक पुरस्कार

लागू करने योग्य हो गया है, इसका जरूरी मतलब यह नहीं है कि यह बाध्यकारी हो गया है-एक पुरस्कार के बाध्यकारी होने के लिए, यह होना चाहिए

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में पारित किया गया इसके अलावा, यदि कोई पक्ष श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण दिखाने की स्थिति में है, जब उसे एकतरफा स्थापित किया गया था, तो श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण अपनी सहायक या आनुषंगिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस तरह के आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम है -

उस शक्ति को फंक्टस के सिद्धांत से सीमित नहीं किया जा सकता है।

अधिकारी।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17 (1) के तहत एक पुरस्कार उपयुक्त द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

इसकी प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर सरकार। धारा 17 (2) के तहत, पुरस्कार धारा 17 ए के अंतिम विषय बन जाता है। खंड के तहत

17 ए, एक पुरस्कार 30 दिनों की समाप्ति पर लागू होने योग्य हो जाता है

धारा 17 के तहत इसके प्रकाशन की तारीख से। इसके तहत

वैधानिक योजना, श्रम न्यायालय/ट्रिब्यूनल को अपनी स्वयं की प्रक्रिया का पालन करने का अधिकार है जो वह उचित समझता है, जिसका अर्थ है, एक ऐसी प्रक्रिया जो औद्योगिक विवाद के निपटारे और औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए उपयुक्त और उचित है। यदि कोई पार्टी भाग लेने में विफल रहती है

न्यायालय/न्यायाधिकरण पर्याप्त कारण बताए बिना, न्यायालय/न्यायाधिकरण एकतरफा कार्यवाही कर सकता है और एकतरफा निर्णय पारित कर सकता है। पुरस्कार,

एकतरफा या अन्यथा, इसे बनाते ही उपयुक्त सरकार को भेजा जाना चाहिए और उपयुक्त सरकार को इसकी प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर इसे प्रकाशित करना होगा। इस प्रकार प्रकाशित पुरस्कार अपने प्रकाशन के 30 दिनों की अवधि के बाद लागू होने योग्य हो जाता है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 17 के तहत इसके प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अदालत/न्यायाधिकरण से संपर्क किए जाने की स्थिति में एक एकतरफा पुरस्कार को अलग किया जा सकता है।

समाकलन। [पैरा 7,12,14] [382-एफ-जी; 383-सी-डी; 384-एफ-जी; 385-ए]

1.2 पृष्ठभूमि में ग्रिंडले के मामले को बारीकी से पढ़ने पर

कानून के विश्लेषण के मामले में, यह समझना मुश्किल है कि एकतरफा निर्णय को दरकिनार करने की शक्ति श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर, और अधिनियम और नियमों की योजना की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या पर, यह है -

यह भी समझना मुश्किल है कि ग्रिंडले के मामले में निर्णय का अनुपात, इस हद तक कहा गया है कि एक एकतरफा पुरस्कार को अलग करने के लिए एक आवेदन पुरस्कार के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर दायर किया जाना है। इसके विपरीत, ग्रिंडले के मामले में अनुपात यह है कि न्यायाधिकरण सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 13 के तहत निहित व्यापक सिद्धांतों पर अपनी सहायक और आनुषंगिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। निस्संदेह, सीमा अधिनियम, 1963 श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण पर लागू नहीं होता है। [पैरा 30] [394-जीएच; 395-ए]

1.3 यदि कोई पक्ष पर्याप्त कारण दिखाने की स्थिति में है

श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी अनुपस्थिति के लिए, जब इसे एकपक्षीय रूप से निर्धारित किया गया था, श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण, अपनी सहायक या आनुषंगिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम है। उस शक्ति को सीमित करके सीमित नहीं किया जा सकता है। पर्याप्त कारण क्या है और क्या उचित समय के भीतर इसकी अधिकारिता का उपयोग किया जाता है, यह श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण के विवेकपूर्ण विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। [पैरा 32] [396-डी-ई]

1.4 यह स्वाभाविक न्याय की बात है कि कोई भी पक्ष

न्यायिक कार्यवाहियों को सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए, और यदि इस तरह के अवसर को पर्याप्त के अभाव में अस्वीकार कर दिया गया है

समय, अपनी प्रक्रिया को सही करने की स्थिति में होना चाहिए। अन्यथा, जैसा कि ग्रिंडले के मामले में माना गया है, एक पुरस्कार जो अमान्य हो सकता है, उसे तकनीकी रूप से लागू करना होगा। यह मुश्किल है कानून के तहत ऐसी स्थिति को समझें। [पैरा 33] [396-ई-एफ] एम/एस।

हरियाणा सूरज माल्टिंग लिमिटेड। वी. फ़ोन चैण्ड

1.5 केवल इसलिए कि कोई पुरस्कार लागू करने योग्य हो गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह बाध्यकारी हो गया है। एक पुरस्कार के लिए

बाध्यकारी होने पर, इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में पारित किया जाना चाहिए। सुनवाई के अवसर से इनकार करते हुए पारित किए गए पुरस्कार को, जब गैर-उपस्थिति का पर्याप्त कारण था, इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह अमान्य है। एक पुरस्कार जो एक शून्य है एक बाध्यकारी पुरस्कार नहीं हो सकता है और न ही होगा। यदि कोई पक्षकार श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण में अपनी गैर-उपस्थिति के लिए उचित समय के भीतर पर्याप्त कारण दिखाने में सक्षम होता है, जब उसे एकतरफा निर्धारित किया गया था, तो श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण ऐसे आवेदन पर विचार करने के लिए बाध्य है और आवेदन को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि यह पुरस्कार दिए जाने के बाद दायर किया गया था।

लागू करने योग्य। श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण कार्यतः आधिकारिक नहीं है क्योंकि पुरस्कार लागू करने योग्य हो गया है जहाँ तक एक पूर्व न्यायाधीश को अलग करने की बात है। पार्ट पुरस्कार का संबंध है। यह अधिनियम की योजना के अनुसार और नियमों के संदर्भ में एक आवेदन पर विचार करने की अपनी शक्तियों के भीतर है

प्राकृतिक न्याय। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 एक कल्याणकारी कानून है जिसका उद्देश्य औद्योगिक शांति बनाए रखना है। मामले के उस दृष्टिकोण में, न्याय करने के लिए कुछ शक्तियां श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण को दी जानी चाहिए, चाहे उसे सहायक, आकस्मिक या अंतर्निहित कहा जाए। [पैरा 35] [397-बी-ई]

1.6 जब प्रबंधन के कहने पर एकतरफा पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन किया जाता है, तो श्रम न्यायालय /

न्यायाधिकरण को इक्विटी को संतुलित करना होगा। पुरस्कार श्रम न्यायालय को इस बात पर विचार करने के लिए भेजे जाते हैं कि क्या प्रबंधन के उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण था। चूंकि मुकदमा लंबे समय से लंबित है, इसलिए अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे अस्थायी भुगतान के माध्यम से श्रमिकों को प्रत्येक मामले में रु. 1,00,000/- की राशि का भुगतान करें। हालांकि, भुगतान पुरस्कारों के अंतिम परिणाम के अधीन है और इसे समायोजित किया जाएगा।

उचित रूप से। [पैरा 36] [397-एफ-जी]

ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण और अन्य [1981] एस. सी. आर. 341: (1980) पूरक। एस. सी. सी. 420-पर निर्भर।

काप्रा मजदूर एकता यूनियन बनाम। बिड़ला कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड और एक अन्य [2005] 2 एससीआर

888 : (2005) 13 एससीसी 777-प्रतिष्ठित।

अनिल सूद बनाम। पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय II (2001) 10 एस. सी. सी. 534; जम्मू तहसील बनाम। एच. कुमार सिंह और अन्य (2006) 12 एससीसी 193; एम. पी. स्टील कॉर्पोरेशन बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (2015) 7 एस. सी. सी. 58; नित्यानंद, एम. जोशी और अन्य बनाम। जीवन बीमा भारत संघ और एक अन्य v. पारस लैमिनेट्स (पी) लिमिटेड (1990) 4 एस. सी. सी. 453; जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क [1996] 5 पूरक। एससीआर 295: (1996) 6 एस. सी. सी. 92; संघम टेप कं. v. हंस राज [2004] 4 पूरक। एससीआर 728: (2005) 9 एससीसी 331; और राधाकृष्ण मणि त्रिपाठी बनाम। एल. एच. पटेल और अन्य [2008] 16 एससीआर 490: (2009) 2 एससीसी 81; हरियाणा सूरज माल्टिंग लिमिटेड बनाम। फूल चंद (2012) 8 एससीसी 579 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

संदर्भित किया गया है

[2004] 4 पूरक। एससीआर 728

पै रा 3

[2008] 16 एससीआर 490

संदर्भित किया गया है

पै रा 3

(2012) 8 एस. सी. सी. 579

पै

रा 3

संदर्भित किया गया है

(2001) 10 एस. सी. सी. 534

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

(2006) 12 एससीसी 193

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

[2005] 2 एससीआर 888

प्रतिष्ठित

पै

रा 29

[1981] एससीआर 341

उस पर भरोसा करें

पै

रा 30

(2015) 7 एससीसी 58

पै

रा 30

संदर्भित किया गया है

(1969) 2 एससीसी 199

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

(1990) 4 एससीसी 453

संदर्भित किया गया है

पै

रा 31

[1996] 5 पूरक। एससीआर 295

संदर्भित किया गया है

पै

रा 31

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5

2018 से।

उच्च न्यायालय के 08.09.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सिविल रिट याचिका संख्या 1509 2000 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार

एम/एस के साथ। हरियाणा सूरज माल्टिंग लिमिटेड। वी. फ़ोन चैण्ड

2018 की सिविल अपील संख्या 5649 2012 की सिविल अपील सं. 5893।

श्री चेतन जोशी, रामेश्वर प्रसाद गोयल, आफताब अली खान, एम. मोहसिन इस्लाली, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

ऋषि मल्होत्रा, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था कुरियन, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. इस मामले में विचार के लिए उत्पन्न होने वाला प्रश्न यह है कि क्या औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय निर्णय के बाद कार्यात्मक अधिकारी है। प्रवर्तनीय हो गया है, और इस प्रकार, एक पर विचार करने से रोका जाता है

एकतरफा पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन।

3. इस न्यायालय के दो निर्णयों के बीच संघर्ष को देखते हुए-संघम टेप कंपनी। 'हंस राज' और राधाकृष्ण मणि त्रिपाठी

वी. एल. एच. पटेल और अन्य 2, हरियाणा सूरज माल्टिंग लिमिटेड बनाम में दिनांक 1 के आदेश द्वारा। फूल चंद 3, एक बड़ी पीठ का संदर्भ निम्नलिखित शब्दों में दिया गया थाः

" 1. क्या औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय घोषणा/प्रकाशन के 30 दिनों के बाद कार्यात्मक अधिकारी बन जाता है

2. यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस प्रश्न पर दो खंड पीठ के फैसलों ने स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी विचार लिए हैं। संघम टेप कं. वी. हंसराज की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया और कहा कि एक एकतरफा पुरस्कार को वापस लेने के लिए एक आवेदन पर औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय द्वारा केवल उस स्थिति में विचार किया जा सकता है जब यह निर्णय की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति से पहले दायर किया जाता है। पुरस्कार
की घोषणा/प्रकाशन। राधाकृष्ण मणि त्रिपाठी बनाम में एक विपरीत दृष्टिकोण लिया गया था। एल. एच. पटेल को

हम में से एक (आफताब आलम, जे.) एक पार्टी में थे।

1 1 (2005) 9 एस. सी. सी. 331 2 (2009) 2 एस. सी. सी. 81 3 3 (2012) 8 एस. सी. सी. 579 [2018] 5 एस. सी. आर.

3. दोनों ही मामलों में, अर्थात, संघम टेप कंपनी और

राधाकृष्ण मणि त्रिपाठी, न्यायालय ने संदर्भित किया और भरोसा किया ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम में पहले के निर्णयों पर। केंद्रीय

सरकार. औद्योगिक न्यायाधिकरण और अनिल सूद बनाम। श्रम न्यायालय लेकिन

उन दोनों निर्णयों को पूरी तरह से अलग तरीके से पढ़ें और उनकी व्याख्या करें। 4. इन दोनों निर्णयों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए संघर्ष का समाधान केवल एक बड़ी पीठ द्वारा ही किया जा सकता है। इन मामलों को होने दें,

इसलिए, तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।

4. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील और न्यायमित्र के रूप में न्यायालय की सहायता करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शेखर नाफडे को सुना।

5. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) को जांच के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

और औद्योगिक विवादों का निपटान, और कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए। अध्याय IV "अधिकारियों की प्रक्रिया, शक्तियों और कर्तव्यों" का प्रावधान करता है। अध्याय IV की धारा 11 (1) के तहत, यह प्रावधान किया गया है कि श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण ऐसी प्रक्रिया का पालन कर सकता है जो वह उचित समझता है।

न्यायाधिकरण ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जैसे मध्यस्थ या अन्य संबंधित प्राधिकारी उचित सोच सकते हैं।

6. धारा 17 (1) के तहत, एक पुरस्कार प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उपयुक्त सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। खंड के तहत

17 (2) , पुरस्कार धारा 17 ए का अंतिम विषय बन जाता है। धारा 17 ए के तहत, एक पुरस्कार 30 दिनों की समाप्ति पर लागू होने योग्य हो जाता है।

धारा 17 के तहत इसके प्रकाशन की तारीख।

7. धारा 20 कार्यवाही के प्रारंभ और समापन से संबंधित है। धारा 20 (3) के तहत, न्यायालय/न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही उस तारीख को समाप्त हुई मानी जाएगी जिस दिन धारा 17 ए के तहत पुरस्कार लागू करने योग्य हो जाता है।

" 20. कार्यवाहियों की शुरुआत और समापन।

(1) सुलह की कार्यवाही उस तारीख को शुरू हुई मानी जाएगी जिस दिन सुलह अधिकारी को धारा 22 के तहत हड़ताल या तालाबंदी की सूचना प्राप्त होती है या विवाद को बोर्ड को भेजने के आदेश की तारीख को, जैसा भी मामला हो।

एस. हरियाणा सूरज माल्टिंग लिमिटेड। वी. फूल चंद [कुरियन, जे.]

(2) सुलह कार्यवाही को समाप्त माना जाएगा।

(क) जहाँ समझौता किया जाता है, जब विवाद के पक्षों द्वारा समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं;

(ख) जहां कोई समझौता नहीं हुआ है, जब सुलह अधिकारी की रिपोर्ट उपयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है।

सरकार या जब बोर्ड की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है

धारा 17 के तहत, जैसा भी मामला हो; या

((ग) जब धारा 10 के अधीन किसी न्यायालय, श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को निर्देश दिया जाता है।

सुलह कार्यवाही की लंबितता।

(3) धारा 10 ए के तहत मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही या

श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष

ऐसा समझा जाता है कि विवाद के मध्यस्थता या निर्णय के लिए संदर्भ की तारीख से शुरू हुआ है, जैसा भी मामला हो और ऐसी कार्यवाहियों को उस तारीख को समाप्त माना जाएगा

जिस पर पुरस्कार धारा 17 ए के तहत प्रवर्तनीय हो जाता है।

8. धारा 38 अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है, जिसमें शक्तियां और

न्यायालयों/न्यायाधिकरणों का आदेश।

9. औद्योगिक विवाद मंडल नियम, 1957 (जिसे इसके बाद "केंद्रीय नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के नियम 10 बी (9), जैसा कि 1984 में पेश किया गया था,

इस प्रकार हैः

" 10 बी (9)। यदि कोई पक्ष चूक करता है या किसी भी स्तर पर पेश होने में विफल रहता है तो श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो सकता है।

हो सकता है, एकतरफा संदर्भ के साथ आगे बढ़ सकता है और निर्णय ले सकता है

चूक करने वाले पक्ष की अनुपस्थिति में संदर्भ आवेदनः

बशर्ते कि श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, दायर किए गए किसी भी पक्ष के आवेदन पर हो सकता है

पुरस्कार प्रस्तुत करने से पहले आदेश को रद्द कर दें कि

मामला एकतरफा रूप से आगे बढ़ेगा, यदि यह संतुष्ट है कि

पार्टी न्यायोचित आधार पर थी।

10. केंद्रीय नियमों के नियम 22 में यह भी प्रावधान है कि न्यायालय /

यदि कोई पक्ष पर्याप्त कारण बताए बिना न्यायालय/नाल में उपस्थित होने में विफल रहता है तो अदालत एकतरफा कार्रवाई कर सकती है। नियम इस प्रकार हैः

18] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 22. बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय

न्यायाधिकरण या मध्यस्थ एकतरफा कार्यवाही कर सकते हैं। - अगर इसके बिना

बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही करने के लिए किसी भी पक्ष को पर्याप्त कारण दिखाया जा रहा है या मध्यस्थ उपस्थित होने या प्रतिनिधित्व करने में विफल रहता है, बोर्ड, न्यायालय,

श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण या मध्यस्थ आगे बढ़ें, जैसे कि पार्टी ने विधिवत भाग लिया था या उसका प्रतिनिधित्व किया गया था।

11. नियम 24 में प्रावधान है कि बोर्डों, न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों के पास वही शक्तियां होंगी जो हैं:

नियम के भीतर निर्दिष्ट मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय में निहित। नियम इस प्रकार है:

" 24. बोर्डों, न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, न्यायाधिकरणों की शक्ति और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण। - द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त

अधिनियम, बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों के पास वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय में निहित हैं।

वाद, निम्नलिखित मामलों के संबंध में, अर्थात्:

((क) खोज और निरीक्षण;

(ख) स्थगन प्रदान करना;

(ख) शपथपत्र पर लिए गए साक्ष्य का ग्रहण, और बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण समन कर सकते हैं और

किसी ऐसे व्यक्ति की जाँच करना जिसका साक्ष्य उसे भौतिक प्रतीत होता है और धाराओं के अर्थ के भीतर एक दीवानी न्यायालय के लिए माना जाएगा।

480 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 "।

12. इस प्रकार, वैधानिक योजना के तहत, श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया का पालन करने का अधिकार है जो वह उचित समझता है, जिसका अर्थ है, एक ऐसी प्रक्रिया जो औद्योगिक विवाद के निपटारे और औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए उपयुक्त और उचित है। यदि कोई पक्ष पर्याप्त कारण बताए बिना न्यायालय/न्यायाधिकरण में उपस्थित होने में विफल रहता है, तो न्यायालय/न्यायाधिकरण एकतरफा रूप से आगे बढ़ सकता है और एकतरफा निर्णय पारित कर सकता है। एकतरफा या अन्यथा पुरस्कार दिए जाने के तुरंत बाद उपयुक्त सरकार को भेजा जाना चाहिए और उपयुक्त

सरकार को इसकी प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर इसे प्रकाशित करना होगा। इस प्रकार प्रकाशित पुरस्कार अपने प्रकाशन के 30 दिनों की अवधि के बाद लागू होने योग्य हो जाता है।

13. एकतरफा फैसले के मामले में सवाल यह है कि क्या न्यायालय/न्यायाधिकरण इसके प्रकाशन के 30 दिनों के बाद इसे अलग कर सकता है।

विचार किया।

एम/एस। हरियाणा सूरज माल्टिंग लिमिटेड। वी. फूल चंद [कुरियन, जे.]

14. कि धारा 17 के तहत इसके प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर न्यायालय/न्यायाधिकरण से संपर्क किए जाने की स्थिति में एकपक्षीय पुरस्कार को अलग किया जा सकता है। अधिनियम का, अब समाकलन नहीं है। ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम। केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण और अन्य, यह आयोजित किया गया है

पैरा-14 में कहा गया हैः

" 14. यह तर्क कि न्यायाधिकरण कार्यात्मक अधिकारी बन गया था और इसलिए, एकतरफा निर्णय को दरकिनार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और अकेले केंद्र सरकार इसे दरकिनार कर सकती थी, हमें स्वीकार्य नहीं है। अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही को निम्नलिखित माना जाएगाः
उस तारीख तक जारी रखें जब तक पुरस्कार लागू नहीं हो जाता

धारा 17-ए के तहत। अधिनियम की धारा 17-ए के तहत, एक पुरस्कार धारा 17 के तहत इसके प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर प्रवर्तनीय हो जाता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 10 के तहत एक संदर्भ के संबंध में कार्यवाही को पुरस्कार के प्रकाशन से 30 दिनों की समाप्ति तक समाप्त नहीं माना जाता है। तब तक न्यायाधिकरण निर्णय के लिए उसे भेजे गए विवाद पर अधिकार क्षेत्र बरकरार रखता है और उस तारीख तक उसके पास शक्ति है

ऐसे विवाद के संबंध में एक आवेदन पर विचार करना। वह स्तर तब तक नहीं पहुँचता जब तक कि पुरस्कार धारा 17-ए के तहत लागू नहीं हो जाता।

ग्रिंडलेज़ (ऊपर) के पैराग्राफ-6 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायाधिकरण कर सकता है न्याय के हित में, यदि वह उचित समझता है, तो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करें। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायाधिकरण को ऐसी आनुषंगिक या सहायक शक्तियां प्राप्त हैं जो अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए आवश्यक हैं।

पक्षों के बीच न्याय करने का उद्देश्य, जब तक कि क़ानून में इसके विपरीत कोई स्पष्ट संकेत न हो। उद्धृत करने के लिएः

" 6. हमारी राय है कि न्यायाधिकरण के पास विवादित आदेश पारित करने की शक्ति थी यदि वह न्याय के हित में उचित समझता है। यह सच है कि अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में ऐसा करने के लिए न्यायाधिकरण को अधिकार क्षेत्र देने वाला कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। लेकिन यह वैधानिक निर्माण का एक सर्वविदित नियम है कि एक न्यायाधिकरण या निकाय को ऐसी सहायक या आनुषंगिक शक्तियों से संपन्न माना जाना चाहिए जो इसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हैं। पक्षों के बीच न्याय करने के उद्देश्य से प्रभावी ढंग से। इस प्रकार के मामले में, हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण को इस तरह के आकस्मिक या सहायक के साथ निवेशित माना जाना चाहिए।

4 1980 (सप) एस. सी. सी. 420 [2018] 5 एस. सी. आर.

शक्तियाँ जब तक कि क़ानून में इसके विपरीत कोई संकेत न हो। हमें ऐसा कोई वैधानिक निषेध नहीं मिलता है। दूसरी ओर,

इसके विपरीत संकेत हैं। "

15. पैराग्राफ-7 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि न्यायाधिकरण या अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकरण न्यायालय नहीं हैं, वे

उनके पास न्यायालय के अधिकार होते हैं और वे अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करते हैं। 16. पैराग्राफ-8 में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ". ये सभी प्राधिकरण अर्ध-न्यायिक प्रकृति के हैं, जो वस्तुनिष्ठ रूप से मामलों का निर्धारण करते हैं।

उन्हें न्यायिक तरीके से, बिना किसी लापरवाही के और कानून के सामान्य सिद्धांतों और प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुसार अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। 17. पैराग्राफ-10 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पर्याप्त कारणों पर भागीदारी के बिना पारित किया गया पुरस्कार अमान्य है, और इसलिए, न्यायालय/न्यायाधिकरण

एकतरफा पुरस्कार को अलग रखने की शक्ति और कर्तव्य है। 18. पैराग्राफ-11 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पैराग्राफ-10 में लिया गया दृष्टिकोण नियम 22 के अधिदेश के अनुरूप है।

19. पैराग्राफ-12 में, न्यायालय ने यह विचार रखा कि स्थगन की मंजूरी के संबंध में केंद्रीय नियमों के नियम 24 के अनुसार शासित किया जा रहा है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद "सी. पी. सी". के रूप में संदर्भित) के अनुसार, सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 13 के प्रावधान एकतरफा निर्णय के मामले में लागू होंगे। 20. पैराग्राफ-13 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एकतरफा पुरस्कार को अलग रखना प्रक्रियात्मक समीक्षा का विषय है जिसका प्रयोग पूर्व-ऋण न्याय के लिए किया जाता है।

इसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकें और ऐसी शक्तियां प्रत्येक न्यायालय या न्यायाधिकरण में निहित हैं।

21. पैराग्राफ-10 से 13 को निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः

" 10. जब धारा 11 की उप-धारा (1) स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से

शर्तें न्यायाधिकरण को अपने स्वयं के विनियमन की शक्ति प्रदान करती हैं प्रक्रिया में, सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, इसे अनिवार्य रूप से उन सभी शक्तियों से संपन्न किया जाना चाहिए जो मौजूदा औद्योगिक विवाद का निर्णय लाती हैं। हमारा विचार है कि जहां किसी पक्ष को पर्याप्त कारण के कारण सुनवाई में उपस्थित होने से रोका जाता है, और उसे एकतरफा पुरस्कार का सामना करना पड़ता है, तो यह ऐसा है जैसे कि पक्ष को कार्यवाही की सूचना के बिना एक पुरस्कार के साथ भेजा जाता है। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि जहां न्यायाधिकरण एस. हरियाणा सूरज माल्टिंग लिमिटेड है।

वी. फूल चंद [कुरियन, जे.]

किसी पक्ष को बिना किसी सूचना के पुरस्कार देने के लिए आगे बढ़ते हैं, पुरस्कार एक शून्य के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण के पास न केवल शक्ति है, बल्कि एकतरफा निर्णय को दरकिनार करने और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश देने का कर्तव्य भी है।

नियम 22 में नीचे। नियम 22 के तहत एकतरफा रूप से आगे बढ़ने की शक्ति अपने साथ यह जांच करने की शक्ति रखती है कि सुनवाई में किसी पक्ष की अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण था या नहीं। 12. नियम 24 (बी) के तहत एक न्यायाधिकरण या अन्य निकाय के पास सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 के तहत एक दीवानी अदालत की शक्तियां हैं,

स्थगन अनुदान के संबंध में। आदेश 17, नियम 1 के तहत, एक दीवानी अदालत को स्थगन देने या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है। जहां वह किसी मुकदमे की सुनवाई को स्थगित करने से इनकार करता है, वह आगे बढ़ सकता है।

या तो आदेश 17, नियम 2 या नियम 3 के तहत। जब वह आदेश 17, नियम 2 के तहत आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, तो वह आदेश 9 द्वारा उस ओर से निर्देशित तरीकों में से किसी एक में मुकदमे का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ सकता है, या ऐसा अन्य आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, जब न्यायाधिकरण या अन्य निकाय सुनवाई को स्थगित करने से इनकार करता है, तो वह एकतरफा रूप से आगे बढ़ सकता है। ऐसे मामले में जिसमें न्यायाधिकरण या अन्य

न्यायाधिकरण एक पक्षीय पुरस्कार को दरकिनार करने के लिए एक आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम था। 13. हम इस तर्क की सराहना करने में असमर्थ हैं कि केवल इसलिए कि एकतरफा पुरस्कार अपीलार्थी के प्रबंधक के बयान पर आधारित था, इसलिए एकतरफा पुरस्कार को दरकिनार करने का आदेश, वास्तव में, समीक्षा के बराबर है। पटेल नरशी ठाकेरी बनाम में निर्णय। प्रद्युम्नसिंहजी अर्जुनसिंहजी विशिष्ट हैं।

यह इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि समीक्षा की शक्ति है

यह एक अंतर्निहित शक्ति नहीं है, इसे या तो विशेष रूप से प्रदान किया जाना चाहिए या

आवश्यक प्रभाव से। उप-धारा 11 की धारा (1) और (3)

अधिनियम स्वयं प्रक्रिया के बीच अंतर करता है और अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण की शक्तियाँ। जबकि प्रक्रिया बाकी है

न्यायाधिकरण द्वारा अपने कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाना

अधिनियम के तहत, दीवानी अदालत की शक्तियां हैं जो इसे प्रदान की गई हैं -

स्पष्ट रूप से परिभाषित। सवाल यह है कि क्या किसी पक्ष को पहले सुना जाना चाहिए इसके खिलाफ कार्यवाही प्रक्रिया की है न कि शक्ति की

जिस अर्थ में शब्दों का उपयोग धारा 11 में किया गया है। इसका जवाब है -

अतः प्रश्न धारा की उप-धारा (1) में पाया जाता है।

11 और धारा 11 की उप-धारा (3) में नहीं। इसके अलावा, अलग

समीक्षा पर विचार उत्पन्न होते हैं। अभिव्यक्ति "समीक्षा" का उपयोग किया जाता है

दो अलग-अलग इंद्रियों में, अर्थात् (1) एक प्रक्रियात्मक समीक्षा जो

या तो अंतर्निहित है या एक अदालत या न्यायाधिकरण में एक अलग रखने के लिए निहित है

स्पष्ट रूप से गलत आदेश इसके द्वारा एक गलतफहमी के तहत पारित किया गया,

और (2) जब त्रुटि को ठीक करने की मांग की गई तो गुण-दोष पर समीक्षा। यह कानून में से एक है और रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है। वह इसमें है

बाद वाला समझता है कि पटेल नरशी ठाकेरी मामले में अदालत ने फैसला सुनाया कि कोई समीक्षा गुण-दोष पर आधारित नहीं है जब तक कि कोई क़ानून विशेष रूप से प्रदान न करे

इसके लिए। जाहिर है जब एक प्रक्रिया के कारण समीक्षा की मांग की जाती है

इसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए पूर्व ऋण न्याय को सही किया गया, और ऐसी शक्ति प्रत्येक न्यायालय या न्यायाधिकरण में निहित है। ”

(जोर दिया गया)

22. न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि यह शक्ति है और

एक पुरस्कार को अलग करें जो एक शून्य है। उस प्रक्रिया में, न्यायाधिकरण सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 13 के सिद्धांतों द्वारा शासित होता है। हालाँकि, जाहिरा तौर पर, तथ्यों पर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि एकतरफा पुरस्कार को अलग करने की शक्ति केवल तब तक बनी रही जब तक कि पुरस्कार धारा 17 ए के तहत प्रवर्तनीय नहीं हो गया। , धारा 17 के तहत इसके प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति से पहले। यह देखा जा सकता है कि आवेदन पुरस्कार को अलग करते हुए ग्रिंडलेज़ (ऊपर) में प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर दायर किया गया था; पुरस्कार 09.12.1970 पर किया गया था, 25.12.1976 पर प्रकाशित किया गया था और आवेदन 19.01.1977 पर दायर किया गया था। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि ग्रिंडलेज़ (ऊपर) में, न्यायालय ने समापन पैराग्राफ में कानूनी स्थिति को इस प्रभाव के लिए संक्षेप में प्रस्तुत किया कि "। कोई अंतिमता एम/एस संलग्न नहीं है।

हरियाणा सूरज माल्टिंग लिमिटेड। वी. फूल चंद [कुरियन, जे.]

एकतरफा पुरस्कार के लिए क्योंकि यह हमेशा पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर अलग रखे जाने के अधीन होता है। न्यायाधिकरण के पास एकतरफा निर्णय को रद्द करने के लिए उसके समक्ष ठीक से किए गए आवेदन पर विचार करने और उपयुक्त आदेश पारित करने की शक्ति थी। 23. अनिल सूद बनाम। पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय II 3, न्यायालय ने ग्रिंडलेज़ (ऊपर) पर भरोसा किया। अनिल सूद (उपरोक्त) के मामले में तथ्य 30 दिनों की अवधि की गणना के उद्देश्य से महत्वपूर्ण हैं। इस मामले में, श्रम न्यायालय को एक संदर्भ दिया गया था और पुरस्कार 11-09-1995 पर दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा उसमें 06-11-1995 पर एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें तर्क दिया गया था कि उसे कार्यवाही की कोई सूचना नहीं है। उस आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि श्रम न्यायालय ने

कार्य अधिकारी बनें। यह ध्यान देने योग्य है कि निर्णय में पुरस्कार के प्रकाशन की तारीख का उल्लेख नहीं है। ग्रिंडलेज़ (ऊपर) में निर्णय के बाद, न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दियाः

" 5. ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड मामले में इस न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत प्रावधानों की योजना की जांच की और कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11 ने न्यायाधिकरण को न्याय के हित में अपनी प्रक्रिया तैयार करने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रदान की हैं जिसमें वे शक्तियां शामिल हैं जो मौजूदा औद्योगिक विवाद के निर्णय को सामने लाती हैं। अधिनियम की धारा 11 की उप-धाराएँ (1) और (3) इस प्रकार अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियों के बीच अंतर को इंगित करती हैं, जबकि अधिनियम के तहत अपने कार्यों को पूरा करने के लिए न्यायाधिकरण द्वारा प्रक्रिया तैयार करने के लिए छोड़ दिया गया है, दीवानी अदालत की शक्तियों की सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है।

6. जिस पक्ष के खिलाफ पुरस्कार दिया जाना है, उसे बचाव करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए, यह प्रक्रिया का विषय है न कि उस अर्थ में शक्ति का जिसमें धारा 11 में भाषा को अपनाया गया है। जब मामलों को न्यायाधिकरण या अदालत को भेजा जाता है तो उनका निर्णय निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए और न्यायाधिकरणों/अदालतों को कानून और नियमों के सामान्य सिद्धांतों का पालन करते हुए मनमानेपन के बिना न्यायिक तरीके से अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए।

प्राकृतिक न्याय।

7. एकतरफा रूप से आगे बढ़ने की शक्ति केंद्रीय नियमों के नियम 22 के तहत उपलब्ध है जिसमें पूछताछ करने की शक्ति भी शामिल है

एक की अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण था या नहीं

5 (2001) 10 एससीसी 534 [2018] 5 एस. सी. आर.

किसी पार्टी को उपस्थित होने से रोका, फिर अगर पार्टी के साथ दौरा किया जाता है बिना किसी सूचना के एक पुरस्कार जो एक शून्य है और इसलिए

न्यायाधिकरण के पास आगे बढ़ने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा और इसके परिणामस्वरूप, यह अनिवार्य रूप से एकतरफा पुरस्कार को अलग रखने की शक्ति होनी चाहिए।

8. यदि कानून में यह स्थिति है, तो उच्च न्यायालय और

न्यायाधिकरण (एस. आई. सी. श्रम न्यायालय) ने यह कहते हुए गलती की कि

पुरस्कार देने के बाद श्रम न्यायालय कार्यवाहक अधिकारी बन गया था। हालांकि पूर्व पक्ष। हम किए गए आदेश और पुरस्कार को अलग करते हैं

श्रम न्यायालय द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई

इस संबंध में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विद्वान वकील प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया कि अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन

अनुमति दी, एकतरफा पुरस्कार को अलग रखें और संदर्भ को पुनर्स्थापित करें।

11-12-2000 पर श्रम न्यायालय इस संबंध में आगे के निर्देश लेगा कार्यवाही। चूंकि मामला बहुत पुराना है, इसलिए यह उचित होगा।

श्रम न्यायालय द्वारा इस संदर्भ का शीघ्रता से निपटान करने के लिए

जितना संभव हो लेकिन आज से छह महीने बाद नहीं। "

24. संघम (ऊपर) में, न्यायालय ने यह विचार रखा कि श्रम

टी/ट्रिब्यूनल ने इसके लिए निर्दिष्ट विवादों पर अधिकार क्षेत्र बरकरार रखा हैप्रकाशन के 30 दिनों की समाप्ति तक ही अनुज्ञप्ति

घ, और उसके बाद, न्यायालय/न्यायाधिकरण कार्यात्मक अधिकारी बन जाता है।

न्यायालय ने ग्रिंडलेज़ (ऊपर) में अनुच्छेद-14 को इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 8. अतः उक्त निर्णय के लिए एक प्राधिकरण है

प्रस्ताव है कि जबकि एक औद्योगिक न्यायालय के लिए अधिकार क्षेत्र होगा एक एकतरफा पुरस्कार को अलग रखें, लेकिन प्रावधान को ध्यान में रखते हुए

अधिनियम की धारा 17-ए में निहित, इसके लिए एक आवेदन आवश्यक है

इसके प्रकाशन के 30 दिनों की समाप्ति से पहले दाखिल किया जाए।

तब तक न्यायाधिकरण निर्दिष्ट विवाद पर अधिकार क्षेत्र बरकरार रखता है।

इसे निर्णय के लिए, और केवल उस तारीख तक, इसके पास शक्ति है

ऐसे विवाद के संबंध में एक आवेदन स्वीकार करें।

XXX

XXX

XXX

10. ग्रिंडलेज़ बैंक [1980] में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए

एस. सी. सी. 420: 1981 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 309] ऐसी अधिकारिता हो सकती है

श्रम न्यायालय द्वारा एक सीमित समय सीमा के भीतर प्रयोग किया गया, अर्थात् -

पुरस्कार के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर।

एक बार एस. हरियाणा सूरज माल्टिंग लिमिटेड। वी. फूल चंद [कुरियन, जे.]

एक पुरस्कार धारा 17-ए के संदर्भ में प्रवर्तनीय हो जाता है

किसी पुरस्कार को अलग रखने के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है इसे पार किया। दूसरे शब्दों में, 30 दिनों की समाप्ति पर

राजपत्र में पुरस्कार के प्रकाशन की तारीख, वही

प्रवर्तनीय हो जाए तो श्रम न्यायालय कार्यात्मक हो जाएगा

अधिकारी।

11. ग्रैंडलेज़ बैंक का अनुसरण सतनाम वर्मा बनाम में किया गया है।

भारत संघ और जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम सीसीई। ”

(जोर दिया गया)

25. संघम (ऊपर) में इस न्यायालय ने भी निर्णय का उल्लेख किया

सूद (ऊपर) और निम्नलिखित रूप में नोट कियाः

" 12.अनिल सूद के मामले में इस अदालत ने कोई कानून नहीं बनाया

इसके विपरीत। श्री जैन की ओर से इस आशय का विवाद उठाया गया

कि वास्तव में उस मामले में एक पुरस्कार को अलग रखने के लिए एक आवेदन

30 दिनों के लंबे समय बाद किया गया था जो इससे अधिक समय के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है

एक कारण है। सबसे पहले, एक मामले में प्राप्त होने वाली तथ्य स्थिति नहीं हो सकती है

दूसरे के लिए एक मिसाल कहा जा सकता है। (देखें महबूब दाऊद

शेख वी। महाराष्ट्र राज्य)। दूसरा, के एक अवलोकन से

उक्त निर्णय, यह प्रतीत नहीं होता है कि प्रकाशन की कोई तारीख

पुरस्कार का उल्लेख उसमें किया गया था ताकि यह स्थापित किया जा सके कि

वास्तव में, आवेदन प्रकाशन की समाप्ति के 30 दिन बाद किया गया था

पुरस्कार से। इसके अलावा, उक्त निर्णय प्रतीत होता है

रियायत पर प्रदान किया गया "।

(जोर दिया गया)

26. जम्मू तहसील बनाम। कुमार सिंह और अन्य ", निम्नलिखित

ग्रिंडलेज़ (ऊपर) में निर्णय, इस न्यायालय ने पैराग्राफ-5 में ग्रिंडलेज़ बैंक मामले में इस न्यायालय के फैसले के बारे में इस तरह का दृष्टिकोण रखाशब्दकोष का प्रयोग श्रम न्यायालय द्वारा एक सीमित सीमा के भीतर किया जा सकता है, अर्थात् प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर।

ई पुरस्कार। एक बार जब कोई पुरस्कार लागू करने योग्य हो जाता है

अधिनियम के 17-ए पर, श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण, के रूप में

स्थापना के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र हो सकता है, नहीं रखता है

उसके द्वारा पारित एक पुरस्कार। दूसरे शब्दों में, की समाप्ति पर

राजपत्र में पुरस्कार के प्रकाशन की तारीख से,

उसी को लागू करने योग्य होने के बाद, श्रम न्यायालय कार्यात्मक अधिकारी बन जाएगा।

27. राधाकृष्ण मणि त्रिपाठी (ऊपर) में तर्क था

कि औद्योगिक विवाद (बॉम्बे) नियमों का नियम 26 (2) अधिकार से बाहर है। निर्णय में उद्धृत नियम, प्रासंगिक सीमा तक, इस प्रकार हैः

" (2) जहां कोई अधिनिर्णय, आदेश या निर्णय उप-नियम (1) के तहत एकतरफा किया जाता है, वहां पीड़ित पक्ष, उसकी प्रति प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ को आवेदन कर सकता है, जैसा भी मामला हो।

इस तरह के पुरस्कार, आदेश या निर्णय को अलग करना। यदि बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ संतुष्ट हैं कि पीड़ित पक्ष की गैर-उपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण, वह या वह इस तरह से किए गए पुरस्कार, आदेश या निर्णय को अलग कर सकता है और

मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक तारीख निर्धारित कीजिए:

बशर्ते कि उपरोक्त किसी भी आवेदन पर कोई पुरस्कार, आदेश या निर्णय तब तक अलग नहीं किया जाएगा जब तक कि विपरीत पक्ष को इसकी सूचना नहीं दी गई हो।

यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 17-ए के तहत एक पुरस्कार इसके प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर लागू हो जाता है।

जिसके बाद श्रम न्यायालय को कार्यात्मक आधिकारिक बना दिया जाता है। रिलायंस को ग्रिंडलेज़ (ऊपर) में कुछ टिप्पणियों पर रखा गया था और यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि बॉम्बे नियमों के नियम 26 (2) का प्रावधान अधिनियम की धारा 17-ए का अपमान था। तथापि, न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित कियाः

" 15. इसी तरह, न्यायालय ने ग्रिंडलेज़ बैंक में बताया कि नियम 24 (बी) के प्रावधान ने औद्योगिक न्यायालयों को सुनवाई स्थगित करने से इनकार करने और एकतरफा रूप से आगे बढ़ने का अधिकार दिया है। अतः, एक ऐसे मामले में जिसमें औद्योगिक न्यायालय एकतरफा निर्णय देता है -

आदेश 9 नियम 13 सी. पी. सी. के प्रावधान स्पष्ट रूप से आकर्षित होंगे। यह तार्किक रूप से इस प्रकार है कि न्यायाधिकरण एक एकतरफा पुरस्कार को अलग करने के लिए एक आवेदन पर विचार करने में सक्षम है। (निर्णय के पैरा 12 को देखें।) इस प्रकार न्यायालय ने औद्योगिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और केंद्रीय नियमों के नियम 22 और 24 (बी) पर एक एकतरफा निर्णय को वापस लेने की शक्ति की स्थापना की। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ग्रिंडलेज़ बैंक में

इस न्यायालय ने केंद्रीय नियमों के नियम 22 में जो निहित माना है, उसे बॉम्बे नियमों में उप के रूप में स्पष्ट और स्पष्ट किया गया है।

नियम 26 का नियम (2) "। एम/एस।

28. ग्रिंडलेज़ में अनुच्छेद-14 का उल्लेख करने और उद्धृत करने के बाद

(ऊपर), यह आगे अभिनिर्धारित किया गया था किः

" 16. ..... उपरोक्त उद्धरण से यह प्रतीत होता है कि

ग्रिंडलेज़ बैंक ने तीस दिनों के भीतर वापस बुलाने का आवेदन दायर किया था।

पुरस्कार के प्रकाशन की तारीख से और इसलिए, आपत्ति

धारा 17-ए के आधार पर उठाया गया मुद्दा इस मामले में सामने नहीं आया। में।

ग्रिंडलेज़ बैंक इस न्यायालय ने यह नहीं कहा कि औद्योगिक न्यायालय

स्थापना के लिए आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा

इसके प्रकाशन के तीस दिनों के बाद दिए गए पुरस्कार को अलग रखें।

फिर भी, इटैलिक में चिह्नित मार्ग के आधार पर उपरोक्त उद्धरण सुश्री इस्सर ने दृढ़ता से तर्क दिया कि यह सच है

निर्णय का आयात।

17. हम स्वीकार करने में असमर्थ हैं। स्थिति स्पष्ट की गई है

अनिल सूद बनाम में बाद का निर्णय। श्रम न्यायालय। अनिल सूद दिलचस्प बात यह है कि श्रम न्यायालय ने वापस बुलाने के आवेदन को खारिज कर दिया था

उसी आधार पर कि पुरस्कार देने के बाद यह बन गया

एक ही दृश्य। अपील में इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि पुरस्कार था 11-9-1995 पर किया गया और इसे वापस बुलाने के लिए आवेदन इस पर दायर किया गया था

6-11-1995 .....

18. अनिल सूद के फैसले के आलोक में हमें कोई सार नहीं मिलता है

अधिनियम की धारा 17-ए के आधार पर अपीलार्थी की प्रस्तुति में।

समर्पण के पहले अंग में कोई पदार्थ नहीं है बॉम्बे के नियम 26 (2) के बीच किसी भी संघर्ष का कोई सवाल ही नहीं है।

अधिनियम के नियम और धारा 17-ए "।

(जोर दिया गया)

29. काप्रा मजदूर एकता यूनियन बनाम। बिड़ला सूती कताई

और वीविंग मिल्स लिमिटेड और अनदर 7 3 न्यायाधीशों की एक पीठ का निर्णय है जिसने ग्रिंडलेज़ (ऊपर) का भी उल्लेख किया है। यह एक ऐसा मामला है जहाँ पुरस्कार 12.06.1987 पर दिया गया था और 10.08.1987 पर प्रकाशित किया गया था। धारा 17 ए के तहत प्रदान की गई 30 दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले 07.09.1987 पर वापस बुलाने का आवेदन किया गया था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि

अतिरिक्त मुद्दा। फैसले के पैराग्राफ-20 से उद्धृत करने के लिए, "। न्यायाधिकरण के फैसले को वापस लेने की मांग जमीनी स्तर पर नहीं की गई थी 7 (2005) 13 एससीसी 777 [2018] 5 एस. सी. आर.

कि अधिनिर्णय पारित करते समय न्यायाधिकरण ने कोई भी प्रक्रियात्मक अवैधता या प्रकृति की गलती की थी जिसने कार्यवाही को ही दूषित कर दिया था और परिणामस्वरूप निर्णय, लेकिन इस आधार पर कि कुछ मामले जिन पर न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया जाना चाहिए था, उन पर विधिवत विचार नहीं किया गया था। जाहिरा तौर पर वापस बुलाने या समीक्षा की मांग एक प्रक्रियात्मक समीक्षा नहीं थी, बल्कि गुण-दोष पर समीक्षा थी। न्यायाधिकरण को या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा समीक्षा की शक्ति प्रदान करने वाले अधिनियम में किसी प्रावधान के अभाव में ऐसी समीक्षा की अनुमति नहीं थी। इसलिए, काप्रा (उपरोक्त) तथ्यों और उसमें माने गए कानून के सवाल पर अलग है। यह मूल समीक्षा का मामला था, जबकि एकतरफा पुरस्कार को अलग रखना प्रक्रियात्मक समीक्षा का मामला है। प्रक्रियात्मक समीक्षा के मामले में, जैसा कि काप्रा (उपरोक्त) में आयोजित किया गया है, पक्षकार को यह स्थापित करना होगा कि अदालत द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को इस तरह की अवैधता का सामना करना पड़ा कि वह कार्यवाही को दूषित कर दिया और उसमें दिए गए आदेश को अमान्य कर दिया,

क्योंकि संबंधित विरोधी पक्ष को बिना उसकी गलती के नहीं सुना गया था, या यह कि मामले की सुनवाई की गई थी और मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के अलावा किसी अन्य तारीख पर निर्णय लिया गया था, जिसमें वह अपनी गलती के बिना उपस्थित नहीं हो सका था। ऐसे मामलों में, इसलिए, पारित आदेश के गुण-दोष में जाए बिना मामले की कानून के अनुसार फिर से सुनवाई की जानी चाहिए। पारित आदेश को वापस लेने और समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए नहीं कि यह गलत पाया गया है, बल्कि इसलिए कि यह एक ऐसी कार्यवाही में पारित किया गया था जो स्वयं प्रक्रिया या गलती की त्रुटि से दूषित हो गई थी जो मामले की जड़ तक गई और पूरी कार्यवाही को अमान्य कर दिया। ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम। केंद्र सरकार। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि प्रतिवादियों को पर्याप्त कारण के कारण सुनवाई में उपस्थित होने से रोका गया था, तो यह माना जाता है कि मामले की फिर से सुनवाई की जानी चाहिए और फिर से निर्णय लिया जाना चाहिए।

30. इसलिए, हमारे द्वारा ऊपर उल्लिखित सभी निर्णयों को ग्रिंडले (उपरोक्त) के रूप में संदर्भित किया गया है। ग्रिंडलेज़ (ऊपर दिए गए) के पैराग्राफ-14 को बारीकी से पढ़ने पर, पैराग्राफ-10 से 13 के तहत कानून के विश्लेषण की पृष्ठभूमि में, हमारे लिए यह समझना मुश्किल है कि एकपक्षीय पुरस्कार को अलग करने की शक्ति श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर, और अधिनियम और नियमों की योजना की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या पर, हमें यह भी समझना मुश्किल लगता है कि ग्रिंडलेज़ (ऊपर) में निर्णय का अनुपात वही है जो पैराग्राफ में कहा गया है।

14 इस हद तक कि एक एकतरफा पुरस्कार एम/एस को अलग करने के लिए एक आवेदन।

हरियाणा सूरज माल्टिंग लिमिटेड। वी. फूल चंद [कुरियन, जे.]

पुरस्कार के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर दाखिल करना होगा। इसके विपरीत, ग्रिंडलेज़ (ऊपर) में अनुपात यह है कि न्यायाधिकरण सी. पी. सी. के आदेश IX नियम 13 के तहत निहित व्यापक सिद्धांतों पर अपनी सहायक और आनुषंगिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। निस्संदेह, सीमा अधिनियम, 1963 श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण पर लागू नहीं होता है।

31. भारत संघ में और एक अन्य वी। पारस लैमिनेट्स (पी)

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विधायिका ने अपनी शक्तियों के प्रभावी और सार्थक प्रयोग के लिए न्यायाधिकरणों को उनके अधिकार क्षेत्र के निर्दिष्ट क्षेत्र में कुछ शक्तियां दी हैं और उन्हें स्वीकार किया है। ऐसी शक्तियाँ प्रत्येक न्यायाधिकरण में निहित हैं जब तक कि स्पष्ट रूप से वर्जित न हों।

" 8. इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायाधिकरण एक अदालत के रूप में कार्य करता है

अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर। इसके पास सभी शक्तियाँ प्रदत्त हैं। स्पष्ट रूप से कानून द्वारा। इसके अलावा, एक न्यायिक निकाय होने के नाते, यह है

वे सभी आनुषंगिक और सहायक शक्तियाँ जो आवश्यक हैं

वैधानिक शक्तियों का स्पष्ट अनुदान पूरी तरह से प्रभावी बनाना। निश्चित रूप से शक्तियों को आनुषंगिक और सहायक के रूप में मान्यता दी जाती है, इसलिए नहीं कि

वे न्यायाधिकरण में निहित हैं, न ही इसलिए कि इसकी अधिकारिता है

पूर्ण, लेकिन क्योंकि यह विधायी इरादा है कि अधिकार क्षेत्र के निर्दिष्ट क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दी गई शक्ति है

प्रभावी और सार्थक रूप से प्रयोग किया गया। की शक्तियाँ

इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायाधिकरण सीमित हैं। इसका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से है

परिभाषित, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर, इसके पास सभी शक्तियां हैं

व्यक्त अनुदान द्वारा सीमित और इसलिए, यह केवल ऐसा ही हो सकता है ऐसी शक्तियाँ जो वास्तव में ऐसे सभी कार्यों को करने के लिए आकस्मिक और सहायक हैं

या ऐसे सभी साधनों का उपयोग करना जो करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हैं

प्रभावी अनुदान। जैसा कि मैक्सवेल में व्याख्या पर कहा गया है

कानून (11 वां संस्करण) "जहां कोई अधिनियम अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, वह

निहित रूप से ऐसे सभी कार्यों को करने या ऐसे साधनों को नियोजित करने की शक्ति भी प्रदान करता है, जो इसके निष्पादन के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। [देखें। आईटीओ वी। एम. के. मोहम्मद कुन्ही] "।

जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर 1, जबकि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय से एक मामले से निपटना

8 3 एम. पी. स्टील कॉर्पोरेशन बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (2015) 7 एस. सी. सी. 58; नित्यानंद, एम. जोशी और अन्य बनाम। भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य (1969) 2 एससीसी

199 .

9 (1990) 4 एससीसी 453

10 (1996) 6 एस. सी. सी. 92 [2018] 5 एस. सी. आर.

न्यायाधिकरण (सी. ई. जी. ए. टी.), यह न्यायालय एक कदम आगे बढ़कर यह अभिनिर्धारित करता है कि प्रत्येक न्यायाधिकरण में अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने में कुछ अंतर्निहित शक्तियां निहित हैं। यह पैराग्राफ-6 में इस प्रकार थाः

" 6. यदि, किसी मामले में, यह स्थापित किया जाता है कि प्रतिवादी बिना किसी गलती के उसके समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ था, तो न्याय के उद्देश्यों के लिए स्पष्ट रूप से यह आवश्यक होगा कि उसके खिलाफ एकतरफा आदेश को रद्द कर दिया जाए। शक्ति की कमी के आधार पर ऐसा नहीं करना स्पष्ट अन्याय होगा। इस संबंध में न्याय करने के लिए गठित प्रत्येक न्यायाधिकरण और न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के अलावा, सी. ई. जी. ए. टी. को नियम 41 के तहत ऐसा आदेश देने की स्पष्ट शक्ति प्रदान की गई है जो न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। इसलिए सी. ई. जी. ए. टी. के पास प्रत्यर्थी के खिलाफ एकतरफा पारित आदेश को दरकिनार करने की शक्ति है यदि यह पाया जाता है कि

प्रतिवादी, पर्याप्त कारण से, उपस्थित होने में असमर्थ था। "

32. यदि कोई पक्ष श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण दिखाने की स्थिति में है जब उसे एकतरफा निर्धारित किया गया था,

श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण अपनी सहायक या आनुषंगिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

इस तरह के आवेदन को स्वीकार करने में सक्षम है। उस शक्ति को सीमित करके सीमित नहीं किया जा सकता है। पर्याप्त कारण क्या है और क्या उचित समय के भीतर इसकी अधिकारिता का उपयोग किया जाता है, यह श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण के विवेकपूर्ण विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

33. यह स्वाभाविक न्याय की बात है कि न्यायिक कार्यवाही के किसी भी पक्ष को सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए, और यदि ऐसा है

पर्याप्त कारण के अभाव में अवसर से वंचित कर दिया गया है, श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण जो इस तरह के अवसर से इनकार करता है, पर्याप्त कारण से संतुष्ट होने और उचित समय के भीतर, अपनी प्रक्रिया को सही करने की स्थिति में होना चाहिए। अन्यथा, जैसा कि ग्रिंडलेज में आयोजित किया गया है, एक पुरस्कार जो शून्य हो सकता है, उसे तकनीकी रूप से लागू करना होगा। कानून के तहत ऐसी स्थिति को समझना मुश्किल है।

34. इस संदर्भ में, धारा 29 का उल्लेख करना भी आवश्यक है, दंडात्मक मंजूरी जिसमें पुरस्कार के उल्लंघन के लिए कारावास शामिल है।

" 29. समझौता या पुरस्कार के उल्लंघन के लिए दंड। - कोई भी व्यक्ति जो किसी समझौते या पुरस्कार की किसी भी अवधि का उल्लंघन करता है, जो इस अधिनियम के तहत उसके लिए बाध्यकारी है, वह कारावास से दंडनीय होगा जो छह महीने तक बढ़ सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से, और जहां उल्लंघन जारी है, एक और जुर्माने के साथ जो एम/एस के लिए दो सौ रुपये तक बढ़ सकता है।

हरियाणा सूरज माल्टिंग लिमिटेड। वी. फूल चंद [कुरियन, जे.]

प्रत्येक दिन जिसके दौरान दोषसिद्धि के बाद उल्लंघन जारी रहता है

प्रथम के लिए और अपराध की सुनवाई करने वाला न्यायालय, यदि वह अपराधी पर जुर्माना लगाता है, तो यह निर्देश दे सकता है कि उससे वसूले गए जुर्माने का पूरा या कोई भी हिस्सा मुआवजे के रूप में किसी भी व्यक्ति को दिया जाएगा, जो

राय, इस तरह के उल्लंघन से घायल हो गई है "।

35. केवल इसलिए कि कोई पुरस्कार लागू करने योग्य हो गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह बाध्यकारी हो गया है। एक पुरस्कार बनने के लिए

बाध्यकारी, इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में पारित किया जाना चाहिए। गैर-उपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण होने पर सुनवाई के अवसर से इनकार करने वाले पुरस्कार को चुनौती दी जा सकती है

इसका शून्य होने का आधार। एक पुरस्कार जो एक शून्य है एक बाध्यकारी पुरस्कार नहीं हो सकता है और न ही होगा। यदि कोई पक्ष श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण में अपनी गैर-उपस्थिति के लिए उचित समय के भीतर पर्याप्त कारण दिखाने में सक्षम होता है, जब उसे एकतरफा निर्धारित किया गया था, तो श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण ऐसे आवेदन पर विचार करने के लिए बाध्य है और आवेदन को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि यह पुरस्कार लागू होने के बाद दायर किया गया था। जहां तक एकतरफा पुरस्कार को रद्द करने का संबंध है, पुरस्कार लागू करने योग्य हो जाने के बाद श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण कार्यात्मक नहीं है। अधिनियम की योजना के अनुसार और प्राकृतिक न्याय के नियमों के संदर्भ में आवेदन पर विचार करना इसकी शक्तियों के भीतर है। यह दोहराया जाना चाहिए कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 एक कल्याणकारी कानून है जिसका उद्देश्य औद्योगिक शांति बनाए रखना है। मामले के उस दृष्टिकोण में, न्याय करने के लिए कुछ शक्तियों को श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण को स्वीकार करना होगा।

चाहे हम इसे सहायक, आनुषंगिक या अंतर्निहित कहें।

36. हम यह भी जोड़ सकते हैं कि जब प्रबंधन के कहने पर एकतरफा पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन किया जाता है, तो श्रम

न्यायालय/न्यायाधिकरण को इक्विटी को संतुलित करना होगा। इसलिए अपीलों का निपटारा किया जाता है।

हम यह स्पष्ट करते हैं कि भुगतान पुरस्कारों के अंतिम परिणाम के अधीन है और उचित रूप से समायोजित किया जाएगा। हम अपनी गहराई को दर्ज करते हैं श्री शेखर द्वारा दी गई उदार सहायता के लिए धन्यवाद।

नाफादे।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

निधि जैन